दां.प्रकी.(जमा.) 4392/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री अनिल कविराज,
जन अभियोजक श्री ओ.पी. राठी उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थीगण का तर्क है कि इस इस प्रकरण में अभियुक्तगण भंवरसिंह व ईश्वर सिंह को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2, चित्तौड़गढ़ द्वारा ही अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था और कल्याणसिंह का अग्रिम जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया था, उसके बाद वह गिरफ्तार किया गया। धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत कल्याणसिंह को भी इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और सहअभियुक्त रामचन्द्र, छगनलाल व शिवसिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी जिसके विरूद्ध डी.बी.क्रिमिनल अपील संख्या 841/2003 इस न्यायालय में की गई जिसमें इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा छगनलाल व शिवसिंह की सजा स्थगित की गई और रामचन्द्र की सजा स्थगित नहीं की गई। इस प्रकार कल्याणसिंह को धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत जमानत पर इस न्यायालय द्वारा रिहा किया गया। उनका तर्क है कि भंवरसिंह व ईश्वरसिंह, जो पूर्व में अग्रिम जमानत पर रिहा थे उनका धारा 439 दं.प्र.सं. का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 173 (8) में चार्जशीट पेश की गई। अत: अभियुक्तगण-प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की

गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। चूंकि प्रार्थीगण भंवरसिंह व ईश्वरसिंह पूर्व में अग्रिम जमानत पर रिहा थे और कल्याणसिंह सहअभियुक्त की जमानत भी इस न्यायालय द्वारा हो चुकी है। पूर्व में अपर सेशन न्यायाधीश सं.2, चित्तौड़गढ़ द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध से जोड़नें वाली साक्ष्य नहीं पाई गई थी अत: अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। अभियुक्तगण को जब एक बार अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है और मात्र उसमें यह शर्त होने से की तफ्तीश के दौरान ही यह आदेश प्रभावी रहेगा, धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा प्रार्थना-पत्र खारिज करना न्यायोचित नहीं था। जब एक बार अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आधार पाए हैं, उसके बाद धारा 439 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज करने के आधार नहीं है, भविष्य में इसका ध्यान रखा जावे। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए अभियुक्त-प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण भंवरसिंह पुत्र देवीनाथ सिंह एवं ईश्वरसिंह पुत्र जालमसिंह योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, प्रत्येक प्रार्थी, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए

की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा